

# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, छतरपुर (पलामू)।



दाखिल खारिज अपील वाद संख्या- 02/2018-19

श्री लक्ष्मण यादव वगैरह -.....आवेदक/अपीलार्थी।

बनाम

श्रीमती विमला देवी-.....प्रतिवादी।

आदेश

आदेश की क०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07.01.2021	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>यह दाखिल खारिज अपील वाद अंचल अधिकारी, छतरपुर के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-327/2010-11 में दिनांक 09.12.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी श्री लक्ष्मण यादव वो श्री रामा यादव पिता स्वर्गीय रामनंदन यादव, श्री चंदन यादव पिता स्वर्गीय बासुदेव यादव, श्री रामदेव यादव वो श्री नागदेव यादव पिता स्व० बिगन यादव सभी ग्राम रुद, थाना छतरपुर, जिला पलामू के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया था। परन्तु एक लम्ब अरसे से पक्षकार द्वारा कोई पैरवी नहीं दिखाया जा रहा है जबकि इस हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रतीत होता है कि उन्हें वाद निष्पादन में कोई रुचि नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई बन्द किया जाता है।</p> <p> भूमि सुधार उप समाहर्ता, छतरपुर (पलामू)।</p> <p> भूमि सुधार उप समाहर्ता, छतरपुर (पलामू)।</p>	